क्रम संख्या–83 (ख)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 09 जून, 2004 ई0

ज्येष्ठ 19, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

परिवहन विभाग

संख्या 248/परि0/2004

देहरादून, 09 जून, 2004

अधिसूचना

प0आ0–102

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल के राज्यपाल, उत्तरांचल परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 2004

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 2004 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तरांचल परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा एक अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषायें

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य–

(एक) मुख्यालय में कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–1, कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक कम कनसोल ऑपरेटर, लेखाकार, सम्परीक्षक/ज्येष्ठ

लेखा परीक्षक एवं संख्या सहायक के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त से है और मुख्यालय के अन्य पदों के सम्बन्ध में अपर परिवहन आयुक्त से है; और

(दो) संभागीय या उपसंभागीय कार्यालयों में कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2, लेखाकार के पद के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त, मुख्य लिपिक, वरिष्ठ सहायक एवं वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वरिष्ठ लिपिक एवं वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, आशुलिपिक एवं वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, लेखालिपिक के पद के सम्बन्ध में अपर परिवहन आयुक्त एवं कनिष्ठ लिपिक व कनिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद के सम्बन्ध में अपने–अपने सम्भागों के कार्यालयों के पदों के लिये संभागीय परिवहन अधिकारी से है।

(ख) "परिवहन आयुक्त" का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल से है;

(ग) "अपर परिवहन आयुक्त" का तात्पर्य अपर परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल से है;

(घ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(च) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है;

(ज) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त और सेवारत व्यक्ति से है;

(ट) "संभागीय कार्यालय" का तात्पर्य संभागीय परिवहन कार्यालय से है और इसके अधीनस्थ उपसंभागीय परिवहन कार्यालय और उसी संभाग के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) का कार्यालय से है। इसमें उस संभाग में पड़ने वाली राज्य की सीमा पर स्थापित चौकी (चेकपोस्ट) भी सम्मिलित है;

(ठ) "संभागीय परिवहन अधिकारी" का तात्पर्य उत्तरांचल के किसी संभाग के संभागीय परिवहन अधिकारी से है;

(ड) "सेवा" का तात्पर्य उत्तरांचल परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा से है;

(ढ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ण) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष में पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में सदस्य की संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, उतनी होगी जितनी परिशिष्ट "क" में दी गयी है:

परन्तु–

क–नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, और

ख–राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी– भर्ती का स्रोत

परिवहन आयुक्त कार्यालय

क्रम संख्या	पदनाम	भर्ती का स्रोत
एक	कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	(1) 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा (2) 25 प्रतिशत पद विभाग में कार्यरत समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
दो	वरिष्ठ लिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	मुख्यालय के स्थायी कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
तीन	वरिष्ठ सहायक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	मुख्यालय के स्थायी वरिष्ठ लिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
चार	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2	मुख्यालय के स्थायी वरिष्ठ सहायक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
पांच	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–1	मुख्यालय के कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2 में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
छः	लेखा लिपिक	सीधी भर्ती द्वारा
सात	सहायक लेखाकार	सीधी भर्ती द्वारा
आठ	लेखाकार	मुख्यालय के स्थायी सहायक लेखाकारों/लेखालिपिकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
नौ	लेखा परीक्षक	सीधी भर्ती द्वारा
दस	सम्परीक्षक/ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	स्थायी लेखा परीक्षकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। परन्तु यदि पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती से भी भरा जा सकता है।
ग्यारह	आशुलिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	सीधी भर्ती द्वारा

बारह	आशुलिपिक कम कन्सोल ऑपरेटर	मुख्यालय के स्थायी आशुलिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। परन्तु यदि पदोन्नति का पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।
तेरह	वैयक्तिक सहायक	मुख्यालय के स्थायी आशुलिपिक कम कन्सोल ऑपरेटरों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
चौदह	संकलनकर्ता	सीधी भर्ती द्वारा
पन्द्रह	संख्या सहायक	स्थायी संकलनकर्ताओं में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए पदोन्नति द्वारा। परन्तु यदि पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा भी भरा जा सकता है।

संभागीय परिवहन कार्यालयों के सम्बन्ध में

क्रम संख्या	पदनाम	भर्ती का स्रोत
एक	कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	(1) 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा (2) 25 प्रतिशत पद विभाग में कार्यरत समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
दो	वरिष्ठ लिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	संभागीय कार्यालयों के स्थायी कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
तीन	वरिष्ठ सहायक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/मुख्य लिपिक	संभागीय कार्यालयों के स्थायी वरिष्ठ लिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
चार	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2	संभागीय कार्यालयों के स्थायी वरिष्ठ सहायक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों/मुख्य लिपिकों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
पांच	लेखालिपिक	सीधी भर्ती द्वारा
छः	लेखाकार	संभागीय कार्यालय के स्थायी लेखालिपिकों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
सात	आशुलिपिक एवं वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणी :– संभागीय कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद को छोड़कर अन्य पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता सूची सभी संभागीय कार्यालयों में कार्यरत पात्र कार्मिकों को सम्मिलित कर तैयार की जायेगी।

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। आरक्षण

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी– राष्ट्रीयता

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणीः–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

8. सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक हैं:– शैक्षिक अर्हतायें

क्रम संख्या	पदनाम	अर्हतायें
एक	कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति के साथ हिन्दी टंकण का ज्ञान। (तीन) कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री के लिए प्रति घंटा 8000 की–डिप्रेशन से अधिक की विशुद्ध गति। वांछनीय–कम्प्यूटर प्रचालन की जानकारी अथवा 'ओ' स्तर का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।
दो	लेखालिपिक / सहा० लेखाकार	एकाउन्टेन्सी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि और देवनागरी लिपि पढ़ने एवं लिखने का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास कम्प्यूटर में कार्य करने के ज्ञान के साथ–साथ कम्प्यूटर पर आधारित कार्य का प्रमाण–पत्र

क्रम संख्या	पदनाम	अर्हतायें
		भी होना चाहिए। कम्प्यूटर पर 4000 "की–डिप्रेशन" प्रति घंटा की गति होनी चाहिए।
तीन	लेखा परीक्षक/ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि और देवनागरी लिपि पढ़ने एवं लिखने का ज्ञान होना चाहिए।
चार	आशुलिपिक कम वरिष्ठ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) हिन्दी आशुलिपि और टंकण का ज्ञान और क्रमशः कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि की और 30 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति अवश्य हो। (तीन) कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री के लिए प्रति घंटा 8000 की–डिप्रेशन से अधिक की विशुद्ध गति। वांछनीय–कम्प्यूटर प्रचालन की जानकारी अथवा 'ओ' स्तर का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।
पांच	आशुलिपिक कम कन्सोल ऑपरेटर/ आशुलिपिक कम डाटा सुपरवाइजर (सीधी भर्ती की स्थिति में)	(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (दो) हिन्दी आशुलिपि और टंकण का ज्ञान और क्रमशः कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि की और 30 शब्द प्रति मिनट हिन्दी टंकण की गति अवश्य हो। (तीन) कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री के लिए प्रति घंटा 8000 की–डिप्रेशन से अधिक की विशुद्ध गति। वांछनीय–कम्प्यूटर प्रचालन की जानकारी अथवा 'ओ' स्तर का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।
छः	संकलनकर्ता/ संख्या सहायक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, गणित या वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि।

अधिमानी अर्हताएं

9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के पदों पर अभ्यर्थी की आयु सीमा उतनी होगी जितनी भर्ती के समय उस समूह के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगी:

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र

11. सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करेंगे।

टिप्पणीः—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी प्राधिकारी या किसी स्थानीय निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसके एक से अधिक पति जीवित हों:

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेन्टल रूल–10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड–2, भाग–3 में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग चार–भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। यदि चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्ति अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा।

सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया

15. किसी पद पर सीधी भर्ती उत्तरांचल (उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2003 या तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया

16. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(i) नियुक्ति प्राधिकारी ...	अध्यक्ष
(ii) परिवहन आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी जो संभागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर के न हों ...	सदस्य
(iii) परिवहन आयुक्त द्वारा नाम–निर्दिष्ट कोई अधिकारी जो सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से निम्न पद का न हो ...	सदस्य

टिप्पणीः—चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को समय–समय पर यथा संशोधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार नाम निर्देशन किया जायेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती उपरोक्त चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।